मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
12/19/16	03/22/21	4 वर्ष, 3 माह, 3 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या 596/2016
कार्तिक रायकवार पुत्र श्री मंगल रायकवार उम्र लगभग 9 वर्ष अवयस्क जरिये संरक्षक एवं कुदरती पिता मंगल रायकवार तनय रघुवीर रायकवार निवासी कटरा मोहल्ला बरुआसागर जिला झाँसी, (उ.प्र.)

----याची

प्रति

1. हिमांशु कुमार तिवारी पुत्र श्री विजय शंकर तिवारी निवासी मोहल्ला सत्तीपुरा, महोबा (उ.प्र.)
........वाहन मालिक वाहन सं. यू.पी.95 डी7477
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री छवि लाल निवासी मुढ़ारी, कुलपहाड़, महोबा (उ.प्र.)
........वाहन चालक वाहन सं. यू.पी.95 डी7477
3. दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लि. जरिये मण्डलीय प्रबन्धक ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लि. सीता होटल के पीछे सिविल लाइन, झाँसी
........बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी.95 डी747

----विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता- श्री पी.के. मिश्रा
विपक्षीगण सं.1 व 2 के अधिवक्ता- श्री अजित कुमार शर्मा 'पुजारी'
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- श्री पंकज निगम

अधिनिर्णय

1. प्रस्तुत याचिका याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत स्वयं को आई चोटों के कारण ₹17,75,000 क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 23.11.2016 को समय लगभग 7:00 बजे सायं याची अपने घर से गोपाल की दुकान से वापस आ रहा था और जब वह दुकान के बाहर निकला तभी डॉक्टर बाजपेयी के अस्पताल की ओर से कार सं. यू.पी.95 डी7477 का चालक अपनी कार को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ और सड़क किनारे जा रहे याची कार्तिक को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार्तिक को गम्भीर चोटें आई तथा उसका दाहिना पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के पश्चात् याची को इलाज हेतु मेवा चौधरी अस्पताल, झाँसी में भर्ती कराया गया किन्तु सही इलाज न होने के कारण याची को आयुष्मान अस्पताल, ग्वालियर ले गये जहाँ इलाज का खर्चा 6 लाख बताया गया तब आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे डॉ. के. पलारिया अस्पताल, झाँसी में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसका दाहिना पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया। याची कक्षा 3 का विद्यार्थी है तथा वह पढ़ने में अब्बल रहता था किन्तु घटना में उसका दाहिना पैर काट दिये जाने के कारण अब उसकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पायेगी तथा जीवन भर उसे एक अपाहिज के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा। याची को काफी मानसिक व शारीरिक कष्ट व पीड़ा सहना पड़ा है तथा अब उसे जीवन भर दूसरों के आश्रित रहना पड़ेगा।

3. विपक्षी सं.1 हिमांशु कुमार तिवारी व विपक्षी सं.2 देवेन्द्र कुमार क्रमशः प्रश्नगत कार सं. यू.पी.95 डी7477 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से 25 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित घटना के समय उक्त वाहन विपक्षी सं.1 चला रहा था जिसके पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। विपक्षी सं.1 का वाहन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहाँ कथित घटना के समय बीमित था। कथित घटना में विपक्षी सं.2 की तेजी व लापरवाही नहीं थी, न ही उसके वाहन द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित की गई है। यदि किसी प्रकार याची क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी पाया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विपक्षी सं.3 दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कं.लि. का होगा।

4. विपक्षी सं.3 दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कं. लि. की ओर से 24 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुर्घटना के समय पर प्रश्नगत कार सं. यू.पी.95 डी7477 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से बिना वैध व प्रभावी परमिट के वाहन चला रहा था तो ऐसी स्थिति में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी विवादित वाहन की बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तों के अनुसार होती है अन्यथा नहीं।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.22 15:57:36 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 16.08.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 23.11.2016 को जब याची कार्तिक रायकवार अपने घर के पास स्थित गोपाल की दुकान से कुरकुरे लेकर घर वापस आने के लिए दुकान से निकला, तो समय करीब 7:00 बजे शाम को डॉक्टर बाजपेयी के अस्पताल की तरफ से विपक्षी सं.1 के कार सं. यू.पी.95 डी7477 के चालक/विपक्षी सं.2 ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे जा रहे कार्तिक को जोरदार टक्कर मार कर गम्भीर चोटें पहुँचायी ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.2 के पास कार सं. यू.पी.95 डी7477 को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 की कार यू.पी.95 डी7477 विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत् बीमित थी ?

4. क्या याची कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ, तो किससे और कितना ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य

1. फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, 9 सी1 याची की इंजरी रिपोर्ट, की छाया प्रतियाँ,

2. फेहरिस्त 31 सी1/1 लगायत 31 सी1/4 से 32 सी1/1 लगायत 87 सी1 प्रपत्र, जिनमें असल असल बिल, कैश मेमो, रसीदें, असल पर्चे, असल पैथोलॉजी रिपोर्ट, असल एक्स-रे रिपोर्ट, असल मुक्ति पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियाँ व याची का असल विकलांगता प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.1 मंगल रायकवार (याची कार्तिक रायकवार का पिता व संरक्षक), पी.डब्लू.2 देशराज रायकवार (स्वतंत्र साक्षी)

विपक्षीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य

1. विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 26 सी1 से 27 सी1/1 लगायत 29 सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर श्री एस.के. साहू, मैनेजर, के. पलारिया हॉस्पिटल, झाँसी द्वारा फेहरिस्त 94 सी1 से याची की असल बी.एच.टी. 94 सी1/2 लगायत 94 सी1/27 तथा श्री विजय सिंह कुशवाहा रिकॉर्ड इंजार्ज, आयुष्मान हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, ग्वालियर द्वारा फेहरिस्त 95 सी1 से 95 सी1/2 लगायत 95 सी1/38 याची की असल बी.एच.टी. दाखिल की गई हैं।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याँकन किया।

8. **निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1**

वाद बिन्दु सं.1 को साबित करने के लिये विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से 83 सी1/1 लगायत 86 सी1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, याची की असल इंजरी रिपोर्ट एवं असल बी.एच.टी. 94 सी1/1 लगायत 94 सी1/27 व 95 सी1/2 लगायत 95 सी1/38 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 मंगल रायकवार याची कार्तिक रायकवार का पिता व संरक्षक, पी.डब्लू.2 देशराज रायकवार स्वतंत्र साक्षी, को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 मंगल रायकवार यद्यपि मौके का साक्षी नहीं है किन्तु इसने याचिका के अभिकथनों के समर्थन में साक्ष्य दिया है। पी.डब्लू.2 देशराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना 23.11.2016 को समय लगभग 7:00 बजे शाम की है। वह गोपाल की दुकान पर सामान लेने के लिये खड़ा था। जैसे ही मुहल्ले के मंगल रायकवार का लड़का कार्तिक कुरकुरे लेकर दुकान से बाहर निकला और कच्ची पटरी पर पहुँचा तभी डॉ. बाजपेयी के अस्पताल की ओर से कार संख्या यू.पी.95 डी7477 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सड़क किनारे पटरी पर जा रहे कार्तिक को टक्कर मार दी, जिससे कार्तिक सड़क पर गिर गया और उसका दाहिना पैर कुचल गया। घटना को उसने व अरविन्द तथा कई लोगों ने देखा। उन लोगों ने कार वाले को पकड़ने की काफी कोशिश की, कार चालक कार लेकर घटना स्थल से भाग गया। घटना एक मात्र कार चालक कार सं. यू.पी. 95 डी7477 की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई है

किन्तु साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे कि इसकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। यह साक्षी आरोप-पत्र मे भी साक्षी बनाया गया है।

9. 83सी1/2 लगायत 83सी1/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती आशा रायकवार द्वारा दिनाँक 23.11.2016 की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 06.12.2016 को कार नं. यू.पी.95 डी 7477 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई गई है। 84सी1/2 लगायत 84सी1/4 आरोप-पत्र की सत्य-प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने प्रश्नगत कार नं. यू.पी.95 डी7477 के चालक के रूप में अभियुक्त देवेन्द्र कुमार (विपक्षी सं.2) के विरूद्ध संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है। 86सी1 नक्शा नजरी भी विवेचक द्वारा उक्त दुर्घटना स्थल के संबंध में बनाया गया है जो निम्न हैः-

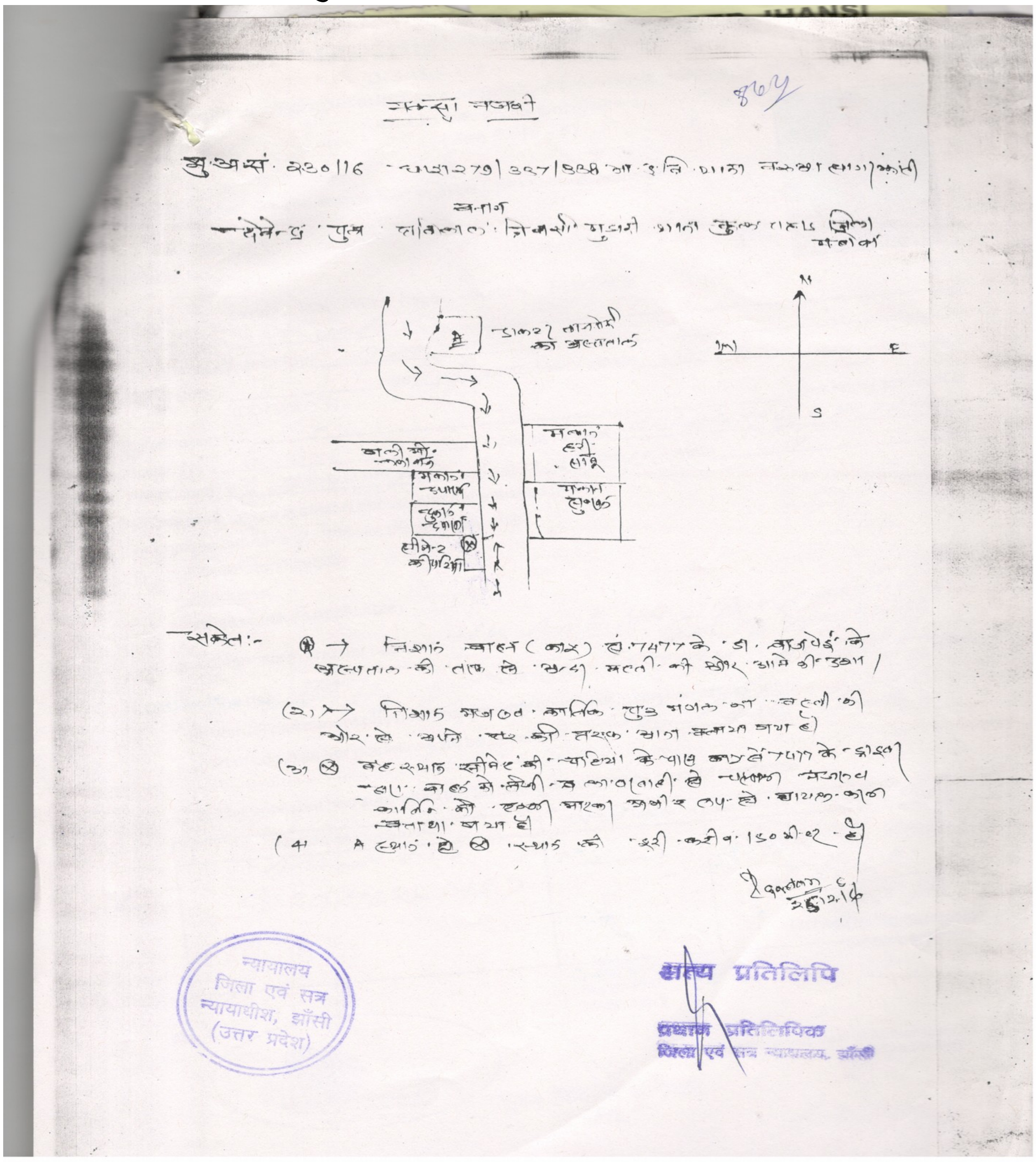

उक्त नक्शा नजरी में विवेचक ने X स्थान को दुर्घटना स्थल चिहिन्त किया है, जिसमें वर्णित तथ्यों से भी याचिका में वर्णित दुर्घटना होने के कथनों व साक्ष्य की पुष्टि होती है। 85सी1 याची की असल इंजरी रिपोर्ट व असल बी.एच.टी. 94सी1/1 लगायत 94सी1/27 व 95सी1/2 लगायत 95सी1/38 के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को वर्णित चोटें आई है तथा असल इंजरी रिपोर्ट 85सी1 मेडिकल कॉलेज, झाँसी में याची की वर्णित चोटें आर.टी.ए. से आने का उल्लेख है। विधि व्यवस्था **<u>रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18. 02.2011-SC): ANU/SC/ 0133/ 2011</u>** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई. आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा-20 और 21] पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में लगभग 13 दिन का बिलम्ब हुआ है, उसका स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही वादिया ने यह कहते हुए दिया है कि वह थाने चक्कर लगाती रही किंतु रिपोर्ट

नही लिखी गई तब शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यवाही हुई। ऐसे मे बिलंब होना स्वाभाविक है।

10. विपक्षी सं.1 व 2 क्रमशः प्रश्नगत कार नं. यू.पी. यू.पी.95 डी7477 के पंजीकृत स्वामी व चालक व विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी की ओर से याची की याचिका के कथित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार किया गया किन्तु उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है। जबकि याची की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.2 ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि कार नं. यू.पी.95 डी7477 के चालक ने अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर याची कार्तिक रायकवार को, जो गोपाल की दुकान से कुरकुरे लेकर वापस अपने घर आ रहा था, को कच्ची पटरी पर जोरदार मार दी, जिससे दुर्घटना में कार्तिक को गम्भीर चोटें आई। विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थलसे कोई अन्य वाहन गुजर रहा था तथा उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई हो। इस प्रकार याची की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त समस्त साक्ष्य से याची की याचिका के कथनों की पुष्टि होती है। अतः विपक्षीगण के कथनों व तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ, कि दिनाँक 23.11.2016 को जब याची कार्तिक रायकवार अपने घर के पास स्थित गोपाल की दुकान से कुरकुरे लेकर घर वापस आने के लिए दुकान से निकला, तो समय करीब 7:00 बजे शाम डॉक्टर बाजपेयी के अस्पताल की तरफ से विपक्षी सं.1 की कार सं. यू.पी.95 डी7477 के चालक/विपक्षी सं.2 ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे जा रहे कार्तिक को जोरदार टक्कर मार कर गम्भीर चोटें पहुँचायी। वाद बिन्दु सं.1 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

12. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 29 सी1 कार नं. यू.पी.95 डी7477 के चालक देवेन्द्र कुमार विपक्षी सं.1 के ड्राईविंग लाइसेन्स के Extract की छाया प्रति दाखिल की है। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त उक्त कार के चालक के रूप में देवेन्द्र कुमार के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। 29 सी1 के अनुसार चालक देवेन्द्र कुमार के पास दिनाँक 18.07.2009 से 31.12.2019 तक MCWG, LMV चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त का खण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 23.11.2016 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.2 के पास कार सं. यू.पी.95 डी7477 को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

13. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं.28 सी1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार प्रश्नगत कार सं. यू.पी.95 डी7477 का बीमा दिनाँक 30.12.2015 से 29.12.2016 तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा प्रश्नगत कार के पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति 27 सी1 भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 23.11.2016 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 की कार यू.पी.95 डी7477 विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत् बीमित थी। वाद बिन्दु सं.3 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>**

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित है। वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 23.11.2016 को जब याची कार्तिक रायकवार अपने घर के पास स्थित गोपाल की दुकान से कुरकुरे लेकर घर वापस आने के लिए दुकान से निकला, तो समय करीब 7:00 बजे शाम डॉक्टर बाजपेयी के अस्पताल की तरफ से विपक्षी सं.1 की कार सं. यू.पी.95 डी7477 के चालक/विपक्षी सं.2 ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये सड़क किनारे जा रहे कार्तिक को जोरदार टक्कर मार कर गम्भीर चोटें पहुँचायी। अतः याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। चूँकि वाद बिन्दु सं.2 व 3 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत कार के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था एवं प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत कार सं. यू.पी.95 डी 7477 विपक्षी सं.3 दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित थी। अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का है।

15. **<u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>**

याची की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है कि याची को गम्भीर चोटें आने से उसका दाहिना पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के पश्चात् याची को इलाज हेतु मेवा चौधरी अस्पताल, झाँसी में भर्ती कराया गया किन्तु सही इलाज न होने के कारण याची को आयुष्मान

अस्पताल, ग्वालियर ले गये किन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे डॉ. के. पलारिया अस्पताल, झाँसी में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसका दाहिना पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया। याची कक्षा 3 का विद्यार्थी है तथा वह पढ़ने में अब्बल रहता था किन्तु घटना में उसका दाहिना पैर काट दिये जाने के कारण अब उसकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पायेगी तथा जीवन भर उसे एक अपाहिज के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा। याची को काफी मानसिक व शारीरिक कष्ट व पीड़ा सहना पड़ा है तथा अब उसे जीवन भर दूसरों के आश्रित रहना पड़ेगा। पी.डब्लू.1 के रूप में याची के पिता/संरक्षक ने याचिका के उक्त कथनों का समर्थन किया है तथा पत्रावली पर याची का मुख्य चिकित्साधिकारी, झाँसी का असल विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रपत्र सं. 87सी1 दाखिल किया गया है एवं 85सी1 महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी की असल इंजरी रिपोर्ट व के. पलारिया हॉस्पिटल, झाँसी व आयुष्मान हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर ग्वालियर की याची की असल बी.एच.टी. 94सी1/1 लगायत 94सी1/27 व 95सी1/2 लगायत 95सी1/38 दाखिल की गई हैं। याची के उक्त असल विकलांगता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को दुर्घटना में आई चोटों के कारण वर्णित 70 प्रतिशत स्थायी विकलांगता पायी गई है। विधि व्यवस्था **Dasrath Vs. Alok Kumar Dubey and Ors (08.09.2017 -ALL HC): MANU/UP/2269/2017** में माननीय उच्च न्यायाल, इलाहाबाद द्वारा तथा विधि व्यवस्था **Parmanand Ktara Vs. Union of India (UOI) and Ors (28.08.1989. SC): MANU/SC/ 0423/1989** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अंपगता प्रमाणपत्र लोक दस्तावेज है, जिसे साबित करने के लिए चिकित्सक को नहीं बुलाया जाना चाहिए। मेरे विचार से न्यायाधिकरण स्वयं अपंगता के प्रभावों तय कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि याची को भविष्य में उक्त विकलांगता के कारण उसकी अर्जन क्षमता में कोई कमी नहीं आयेगी। याची की उम्र याचिका में 9 वर्ष अंकित है तथा उसे कक्षा 3 का विद्यार्थी होना बताया गया है किंतु कोई शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए हैं। विकलांगता के कारण भविष्य में शिक्षा-दीक्षा, नौकरी आदि के अर्जन में व विवाह पर अवश्य प्रभाव पड़ता है परन्तु 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संबंध भविष्य की आय, शिक्षा व उत्तरजीविता आदि के संबंध मे ठीक से कुछ भी अनुमान नही लगाया जा सकता है। दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके दाहिने पैर के काट दिये जाने से उसकी 70 प्रतिशत की विकलांगता के कारण भविष्य मे अनेक दुष्परिणम आयेंगे। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी का अर्जन क्षमता में कमी न होने का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं ।

16. याची की ओर से अपने इलाज में हुये व्यय के सम्बन्ध में फेहरिस्त 31सी1/1 लगायत 31सी1 /4 से ₹1,17,315 के दवाओं के बिल/कैश मेमो व पर्चे आदि दाखिल किये हैं। याची की ओर से दाखिल उक्त बिलों की धनराशि को न्यायाधिकरण उचित पाता है। याची की ओर से 94सी1/1 लगायत 94सी1/27 व 95सी1/1 लगायत 91सी1/37 क्रमशः के. पलारिया हॉस्पिटल, झाँसी व आयुष्मान हॉस्पटिल एवं ट्रामा सेन्टर, ग्वालियर की याची की असल बी.एच.टी. दाखिल की गयी है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि याची ने उक्त चोटों के कारण उक्त अस्पतालों में लगभग एक माह 11 दिन तक भर्ती रहकर इलाज कराया है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने कथन किया है कि घटना के पहले उसका लड़का पढ़ने में काफी होशियार था। पैर कटने के कारण वह हीन भावना का शिकार हो गया है तथा अब उसका भविष्य में विवाह ही नहीं हो पायेगा तथा जीवन भर दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। उसने अपने पुत्र की ओर से क्षतिपूर्ति हेतु ₹17,75,000 का दावा किया है। विधि व्यवस्था Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा उचित प्रतिकर निर्धरित किए जाने पर बल दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची को इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर हुये व्यय के मद में दाखिल बिलों की धनराशि **₹1,17,315,** विधि व्यवस्था **संजय कुमार प्रति अशोक कुमार व एक अन्य 2014 (1) ACCD 401 (SC)** के आलोक में मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिये **₹50,000**, पुष्टाहार के लिये **₹10,000,** इलाज के समय सहायक की सेवाओं के लिए एक मुश्त **₹5,000**, इलाज के आवागमन पर हुये ब्यय के मद में **₹15,000,** शारीरिक कुरूपता के लिये **₹50,000,** कृतिम पैर लगवाने के लिए **₹50,000** याची को दिलाया जाना न्यायाधिकरण न्यायोचित समझता है। याची ने अपनी उम्र के सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट की याची की उम्र लगभग 9 वर्ष की होगी। अतएव याची की 70 प्रतिशत की विकलांगता के तथ्य व मामले की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची को एक मुश्त **₹3,50,000** दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

इस प्रकार याची कुल ₹1,17,315+50,000+10,000+15,000+50,000+

50,000+3,50,000=**₹6,42,315** क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। विधि व्यवस्था National Insurane Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019- SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना भी न्यायोचित होगा। याची अवयस्क है, उसे अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे उसे भविष्य मे रोजगार मिल सके और उसकी अपंगता की भरपाई हो सके। अतः उसे प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिकर की धनराशि मे से इलाज का खर्च **₹1,17,315** उसके माता पिता प्राप्त कर सकेंगे। अवशेष धनराशि याची के वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज दर देने वाली सावधि योजना में निवेशित किये जाने योग्य है। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं.3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि **₹6,42,315 (छः लाख बयालीस हजार तीन सौ पन्द्रह)** मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं.92352010008560IFS Code SYNB0009235 में RTGS/NEFT माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याची कार्तिक रायकवार को प्राप्त होने वाली उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि मे से **₹1,17,315** उसके माता पिता प्राप्त कर सकेंगे। अवशेष धनराशि याची के वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज दर देने वाली सावधि योजना में निवेशित किये जायेंगे, जिसकी मय ब्याज सम्पूर्ण धनराशि याची वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 22.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी